

**कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना अटेर
जिला-भिण्ड (म.प्र.)**

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता /सहायिका/उप- कार्यकर्ता के नियुक्ति संबंधी शिकायती आवेदनों पत्रों पर
दिनांक 22.04.2010 को जिला स्तरीय निराकरण समिति के द्वारा लिया गया निर्णय संबंधी सूची :-

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	शिकायतकर्ता का नाम	पद नाम	शिकायत का विवरण	समिति का अभिमत	रिमार्क
1.	शुक्लपुरा	जगन्नाथपुरा	श्रीमती सुनारदेवी पत्नी रामकुमार	सहायिका	आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर की गई नियुक्ति निरस्त करने बाबत।	1- आपत्ति कर्ता उपस्थित। 2- आपत्तिकर्ता की आपत्ति यह है कि चयनित अभ्यर्थी प्रीती/राकेश मजरा जगन्नाथपुरा के निवासी नहीं। संलग्न आवेदन में निवास के प्रमाण मतदाता परिचय पत्र संलग्न है। चयनित की शिक्षा यू.पी. उत्तरप्रदेश की है 3- आपत्तिकर्ता के प्राप्तांकों का योग 50 बनता है जबकि चयनित का 68 बनता है। 4- अन्य कोई ठोस दस्तावेज साक्ष्य ना होने से आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।	
2.	उदोतगढ़	उदोतगढ़	श्रीमती रूपा देवी पत्नी अनिल मौर्य	सहायिका	आंगनबाड़ी सहायिका के नियुक्ति पर आपत्ति।	1- आपत्तिकर्ता उपस्थित। आपत्तिकर्ता द्वारा पेश आपत्ति का अवलोकन किया गया। 2- आपत्तिकर्ता को पांचवी/आठवी उत्तीर्ण के सही अंक प्रदाय किये गये हैं। 3- आपत्तिकर्ता को बी.पी.एल में नाम दर्ज होने पर 10 अंक प्रदाय किये गये हैं। आपत्तिकर्ता द्वारा पेश आपत्ति स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
3.	चक	गोहदूपुरा	गीता पर्वतसिंह	उप कार्यकर्ता	अंतिम सूची में रिक्त पद के विरुद्ध निवासी होने के संबंध में चयन करने बाबत।	1- आपत्तिकर्ता उपस्थित :- प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया। चयन सूची में पद रिक्त रखा गया है। आवेदनवार स्थिति निम्नानुसार है। • वसुंधरा देवी स्थानीय निवासी नहीं है। • रमाकांती सर्वेश बरुआ 65 अंक है विमलेश कुमार शर्मा की पांचवी की अंकसूची संलग्न	

						<p>न होने से अंक नहीं दिये गये हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> गीता देवी को 53 अंक दिये गये हैं। उमादेवी को कक्षा पांचवी में जनरल प्रमोशन है जिसमें 94% अंक दिये हैं त्रुटिपूर्ण है। भारती के लिये बिना किसी दस्तावेज/राशनकार्ड के 10 नम्बर दिये गये हैं जो त्रुटिपूर्ण है। <p>उपरोक्त तथ्यों पर ग्राम गोहदूपुरा में निम्न तीन अभ्यर्थी पात्रता की श्रेणी में आते हैं :-</p> <table border="1"> <tr> <td>1-</td> <td>गीतादेवी पर्वतसिंह</td> <td>53 अंक</td> <td>चक गोहदूपुरा एवं ग्राम</td> </tr> <tr> <td>2-</td> <td>रमाकांती/सर्वेश</td> <td>65 अंक</td> <td>गोहदूपुरा एक ही राजस्व ग्राम में शामिल है।</td> </tr> <tr> <td>3-</td> <td>भारती भगतसिंह</td> <td>51 अंक</td> <td></td> </tr> </table>	1-	गीतादेवी पर्वतसिंह	53 अंक	चक गोहदूपुरा एवं ग्राम	2-	रमाकांती/सर्वेश	65 अंक	गोहदूपुरा एक ही राजस्व ग्राम में शामिल है।	3-	भारती भगतसिंह	51 अंक		
1-	गीतादेवी पर्वतसिंह	53 अंक	चक गोहदूपुरा एवं ग्राम																
2-	रमाकांती/सर्वेश	65 अंक	गोहदूपुरा एक ही राजस्व ग्राम में शामिल है।																
3-	भारती भगतसिंह	51 अंक																	
4	अटेर	पुरवंशी मोहल्ला	श्रीमती गुड्डी पत्नी नेकराम	उप कार्यकर्ता	<p>पुरवंशी मोहल्ला अटेर में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मनोजदेवी पत्नी संतोष यादव की गलत एवं अवैध नियुक्त निरस्त किये जाने बाबत।</p>	<p>1- आपत्तिकर्ता उपस्थित। आपत्ति के संबंध में श्रीमती मनोज यादव के आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया।</p> <ul style="list-style-type: none"> श्रीमती मनोज की शिक्षा उत्तरप्रदेश में हुई है। उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश में प्राप्त की है। शादी के बाद ग्राम अटेर में निवास करते हैं निवासरत् है शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त बी.पी.एल के 10 अंक दिये गए हैं। पति का नाम बी.पी.एल कार्ड में अंकित है। अंको का मिलान सही है आपत्तिकर्ता को प्राप्त अंको का योग 59 बनता है। तथा चयनित का योग 64 होता है अतः आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं। 													
5.	जमसारा	जमसारा	श्रीमती राधाभारती पत्नी श्री	कार्यकर्ता	<p>ग्राम पंचायत जमसारा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अंतिम सूची में प्रार्थिया का</p>	<p>1- आपत्तिकर्ता उपस्थित।</p> <ul style="list-style-type: none"> आपत्तिकर्ता राधा भारती के 													

			गिरन्दसिंह		नाम अवैध रूप से निरस्त किया गया है और मिथलेश पुत्री मेघसिंह का नाम अवैध रूप से प्रकाशित किया गया है उसे निरस्त किया जाने बाबत्।	आवेदन का अवलोकन किया गया। प्राप्त अंको को योग 46 होता है, जबकि चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों का योग 42 होता है। आपत्तिकर्ता का नाम अंतिम चयन सूची में इसलिये नहीं किया गया है कि उसके द्वारा मूल निवासी प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया था। परन्तु राशन कार्ड से निवास की पुष्टि होती है। आपत्ति प्रथम दृष्टया स्वीकार किये जाने योग्य है।	
6.	सोई	सोई	कु. मंजेश भदौरिया पुत्री रामगोपाल सिंह भदौरिया	कार्यकर्ता	सोई विकासखण्ड अटेर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर अपात्र महिला शारदा पत्नी अशोक की नियुक्ति की जांचकर नियुक्ति निरस्त करने बाबत्।	1-आपत्तिकर्ता उपस्थित। <ul style="list-style-type: none"> चयनित अभ्यर्थी शारदा / अशोक सिंह को जो 10 अंक बी.पी.एल के दिये गये हैं वह त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि नायब तहसीलदार वृत्त सुरपुरा द्वारा प्रकरण क्र 391/बी/21/09-10 में पारित आदेश दिनांक 23.12.09 से गिरन्दसिंह का नाम बी.पी.एल. से विलोपित करने को आदेशित किया गया है। अतः बी.पी.एल. के अंक कम करने पर शारदा के अंक 33 रह जावेंगे। आपत्तिकर्ता के अंक 43 रहेंगे। जो वरियता श्रेणी में प्रथम स्थान पर आ जावेगी। आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य है। 	
7	बलारपुरा	बलारपुरा	सिम्मी / शैलेन्द्र	सहायिका	आंगनबाड़ी बलारपुरा में सहायिका की नियुक्ति में अनियमितता करने के संबंध में।	1- आपत्तिकर्ता सिम्मी उपस्थित। <ul style="list-style-type: none"> चयनित हेमलता उपस्थित नहीं। आपत्तिकर्ता/चयनित दोनो के अंक समान हैं। दोनो के आवेदनों की जांच की संलग्न अंकसूची में जन्मतिथि में काटछांट नहीं दिखती। आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं। 	
8	उदोतपुरा	उदोतपुरा	श्रीमती मनीषा बघेल पत्नी श्री	कार्यकर्ता	उदोतपुरा में अवैध रूपसे चयनित कार्यकर्ता श्रीमती	1- आपत्तिकर्ता उपस्थित। <ul style="list-style-type: none"> ग्राम में कुल 09 आवेदिकों द्वारा आवेदन 	

			अखिलेश बघेल सावित्री/शैलेन्द्र		विभा तोमर पत्नी बृजेन्द्र तोमर की नियुक्ति निरस्त करने बाबत	<p>दिए गए है।</p> <ul style="list-style-type: none"> वरियता के आधार पर विभा/बृजेन्द्र सिंह का चयन किया गया है। आपत्तिकर्ता मनीषा के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से चयनित प्रथम दृष्टया वर्तमान में भिण्ड के वार्ड क्र. 38 में निवासरत् है। दूसरी आपत्तिकर्ता सावित्री भदौरिया ने पति के मतदाता परिचय पत्र के आधार पर मूल निवासी माने जाने का निवेदन किया है। अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। प्रथम दृष्टया चयन उचित नहीं हुआ है। अतः ग्राम के निवासी की जांच उपरांत चयन किया जाना प्रस्तावित है। 																	
9	रिदौली	बौहरे का पुरा	सुनीता देवी/वीरेन्द्र सिंह अनीता शर्मा पत्नी राकेश शर्मा	कार्यकर्ता	प्रार्थियों का अनन्तिम सूची में चयन होने के बाद अंतिम सूची से नाम विलोपित करने के संबंध में।	<p>1- आपत्तिकर्ता उपस्थित।</p> <ul style="list-style-type: none"> प्रस्तुत आवेदन का अवलोकन किया गया। आपत्तिकर्ता सुनीतादेवी/वीरेन्द्र सिंह का नाम जारी प्रोविजनल सूची में दर्ज है। जिसमें 60 अंक प्रदान किये गये है। किंतु अंतिम सूची में पद रिक्त अंकित है। इस ग्राम में कुल 8 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पेश किया गया था, जिसमें निम्नानुसार स्थिति पाई गई थी :- <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>सुनीता / विरेन्द्र सिंह</td> <td>60 अंक</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>मंजुलता/महेश</td> <td>64 अंक</td> <td>स्थानीय निवासी नहीं</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>संध्यादेवी/ए ।नश्याम</td> <td>62 अंक</td> <td>स्थानीय निवासी नहीं</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>अनीता/राकेश</td> <td>52 अंक</td> <td>निवास के प्रमाण पत्र संलग्न है।</td> </tr> </table>	1	सुनीता / विरेन्द्र सिंह	60 अंक		2	मंजुलता/महेश	64 अंक	स्थानीय निवासी नहीं	3	संध्यादेवी/ए ।नश्याम	62 अंक	स्थानीय निवासी नहीं	4	अनीता/राकेश	52 अंक	निवास के प्रमाण पत्र संलग्न है।	
1	सुनीता / विरेन्द्र सिंह	60 अंक																					
2	मंजुलता/महेश	64 अंक	स्थानीय निवासी नहीं																				
3	संध्यादेवी/ए ।नश्याम	62 अंक	स्थानीय निवासी नहीं																				
4	अनीता/राकेश	52 अंक	निवास के प्रमाण पत्र संलग्न है।																				

						<table border="1"> <tr> <td>5</td> <td>रत्ना / रामजीलाल</td> <td>45 अंक</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>रेखा जैन / आनंद जैन</td> <td>48 अंक</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>कल्पना / सुनील जोशी</td> <td>49 अंक</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>बेबी / राजेश</td> <td>46 अंक</td> <td>--</td> </tr> </table> <p>प्रस्तुत दस्तावेजो, सूची का अवलोकन किया गया । कुल 8 अभ्यर्थियों में से क्र. 1 में अंकित को शेष 7 अभ्यर्थियों में से निवासी का तथा शेष 07 स्थानीय निवासी नही होने से भी आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य है।</p>	5	रत्ना / रामजीलाल	45 अंक	--	6	रेखा जैन / आनंद जैन	48 अंक	--	7.	कल्पना / सुनील जोशी	49 अंक	--	8	बेबी / राजेश	46 अंक	--	
5	रत्ना / रामजीलाल	45 अंक	--																				
6	रेखा जैन / आनंद जैन	48 अंक	--																				
7.	कल्पना / सुनील जोशी	49 अंक	--																				
8	बेबी / राजेश	46 अंक	--																				
10	जारी	लहारपुरा	रीना पत्नी हरवंश	कार्यकर्ता	आंगनबाड़ी केन्द्र लहारपुरा में कार्यकर्ता अनन्तिम सूची में मीरा एवं सोनम के अभिलेखों के जांच के संबंध में।	आपत्तिकर्ता रीना पत्नी हरवंश की आपत्ति पर मीरा व सोनम शर्मा के आवेदनों के संलग्न अंकसूचियों का अवलोकन किया गया । दोनो की हाईस्कूल की अंकसूची, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरप्रदेश की आपत्ति यह है कि उक्त दोनो की अंकसूचियाँ गलत व फर्जी है परन्तु साक्ष्य में आवेदन के अलावा अन्य कोई दस्तावेज पेश नही है। दोनो अभ्यर्थियों मीरा सोनम की अंकसूचियों का सत्यापन माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरप्रदेश से कराया जाना एवं नेट पर सत्यापन कराया जाना उचित होगा।																	
11	सिमराव	हरीरामकापुरा	कुसुमादेवी पत्नी टीकाराम	सहायिका	आंगनबाड़ी केन्द्र हरिराम का पुरा में चयनित सहायिका पद पर किरण दिलीप की नियुक्ति निरस्त करने बाबत्।	1- आपत्तिकर्ता अनुपस्थित है। ● चयनित अनुपस्थित है। ● आपत्ति के आधार पर परीक्षण किया गया । जिससे पाया गया कि आपत्ति का पुख्ता आधार नही है। आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नही है।																	
12	कोषण	पाराशर का पुरा	1-संगीता पत्नी राजकुमार 2-पूजा / नीरज	कार्यकर्ता	1-प्रार्थियों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के आवेदन पत्र निरस्ती पर पुनः सुनवाई बाबत्।	1- आपत्तिकर्ता पूजा उपस्थित। 2- आपत्तिकर्ता की अपनी आपत्ति में चयन किया जाना बताया गया है । 3- चयनित अभ्यर्थी के कुल 30 अंक है। सर्वाधिक																	

					<p>2-अनन्तिम सूची में चयनित एवं अंतिम सूची में पद रिक्त किये जाने पर नियुक्ति बाबत।</p>	<p>अंक अंजू माता प्रसाद के 45 अंक है। 4- सभी आवेदकों के आवेदन मात्र इस आधार पर निरस्त किये गये है कि वह निवासी नहीं है। 5- प्राप्त आवेदनों में निम्न के मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न है :-</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>श्रीमती संगीता</td> <td>कोषण</td> <td>32 अंक</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>रेनु शर्मा</td> <td>कोषण</td> <td>31 अंक</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>अंजु शर्मा</td> <td>कोषण</td> <td>45 अंक</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>अनुराधा</td> <td>कोषण</td> <td>32 अंक</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>पूजा देवी</td> <td>कोषण</td> <td>30 अंक</td> </tr> </table> <p>पारासरकापुरा पृथक राजस्व ग्राम नहीं है। कोषण का मजरा है। अतः किसी की नियुक्ति न कराना उचित प्रक्रिया नहीं है। वरीयता के आधार पर नियुक्ति करना उचित होगा।</p>	1	श्रीमती संगीता	कोषण	32 अंक	2	रेनु शर्मा	कोषण	31 अंक	3	अंजु शर्मा	कोषण	45 अंक	4	अनुराधा	कोषण	32 अंक	5	पूजा देवी	कोषण	30 अंक	
1	श्रीमती संगीता	कोषण	32 अंक																								
2	रेनु शर्मा	कोषण	31 अंक																								
3	अंजु शर्मा	कोषण	45 अंक																								
4	अनुराधा	कोषण	32 अंक																								
5	पूजा देवी	कोषण	30 अंक																								
13	जवासा	गढू का पुरा	अनिता पत्नी बलराम	कार्यकर्ता	<p>फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चयन सूची में श्रीमती रश्मीदेवी पत्नी बन्टू सिंह की नियुक्ति निरस्त करने बाबत।</p>	<p>1- आपत्तिकर्ता उपस्थित। 2- आपत्तिकर्ता का कहना है कि चयनित अभ्यर्थी की हायर सेकेण्डरी की अंकसूची फजी है। 3- प्राप्त आपत्ति के आधार पर आवेदन का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया अंकसूची फर्जी या गलत होने के संबंध में कोई दस्तावेज साक्ष्य नहीं दी गई है। अतः गलत माना जा सकता है। 4- शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयनित के अंको का योग 46 व आपत्तिकर्ता के अंको का योग 29 है। 5- आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।</p>																					
14	अहरौली काली	बघेलनकापुरा	आरती पत्नी विश्वजीत सिंह	उप कार्यकर्ता	<p>उप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अनन्तिम सूची के संबंध में।</p>	<p>1- आपत्तिकर्ता आरती उपस्थित सुधा शर्मा अनुपस्थित। 2- मुख्य आपत्ति यह है कि रमन की अंक सूची फर्जी है। परन्तु कोई दस्तावेज साक्ष्य नहीं। आरती की 10 अंक बी.पी.एल. के दिये गये है। सुधा की कक्षा पांचवी में जनरल प्रमोशन प्राप्त हुआ है। न्यूनतम अंक दिये है।</p>																					

						<p>3- चयनित रमन के नाम के आगे अनन्तिम सूची में स्थानीय निवासी नहीं लिखी</p> <p>4- सर्वाधिक अंक आरती के 73 है उसके नाम के सम्मुख भी स्थानीय निवासी नहीं है।</p> <p>ऐसी स्थिति में कम अंक वाले का चयनकर त्रुटि की गई। पुनः जांच की चयन सूची आपत्ति स्वीकार की जाना उचित होगा।</p>	
15	खड़ेरी पुरा	खड़ेरीपुरा	वेदवती पत्नी विनोद	उप कार्यकर्ता	प्रार्थिया का अनन्तिम सूची में नाम एवं अंतिम सूची में नाम न आने बाबत।	<p>1- आपत्तिकर्ता द्वारा पेश आपत्ति का अवलोकन किया गया। प्रोविजन सूची में आपत्तिकर्ता को बी. पी.एल के 10 अंक प्रदान किये गये थे बाद में अंतिम सूची में अंक काट दिये गये हैं।</p> <p>प्रस्तुत दस्तावेजों में अवलोकन किया गया आपत्तिकर्ता द्वारा पेश नीलाराशनकार्ड क्र. 052909 जारी किया गया है। जिसमें मुखिया बलरामसिंह है। पुत्र बधु के रूप में वीरवती अंकित है। आपत्तिकर्ता का नाम वेदवती है। उनके द्वारा बताया गया कि वीरवती ही वेदवती है। अतः आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य है तथा बी.पी.एल. राशनकार्ड के 10 अंक प्रदान किया जाना उचित है। राशनकार्ड की मूलप्रति देखा सही है।</p>	
16	रानी बिरगवां	रानी बिरगवां	कैलाश नारायण पुत्र जयनारायण शर्मा	कार्यकर्ता	ग्राम पंचायत रानी बिरगवां में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त सीमापुत्री रामप्रकाश शर्मा की नियुक्ति निरस्त करने बाबत।	<p>1- आपत्तिकर्ता अनुपस्थित।</p> <p>2- आपत्तिकर्ता की आपत्ति तथ्यहीन है। क्योंकि चयनित सीमा शर्मा चयन समिति से संबंधित नहीं वर्तमान में संबंधित की मां सरपंच है। जो शासन ज्ञापन अनुसार प्रतिबंधित की श्रेणी में नहीं आती है। अतः आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।</p>	
17	नायब	नायब	सुनीता पत्नी ब्रजेश	सहायिका	नायब में सहायिका के पद पर नियुक्ति अजा जाति क आवेदिका को प्राथमिकता न मिलने बाबत।	<p>1- आपत्तिकर्ता उपस्थित नहीं।</p> <p>2- चयनित उपस्थित नहीं।</p> <p>3- चयन वरियता के आधार पर किया गया।</p> <p>4- आपत्ति स्वीकृति योग्य नहीं।</p>	
18	चौम्हों	बसवायकापुरा	सुनीता पत्नी रमेश सिंह	सहायिका	चयनित सहायिका श्रीमती लीलादेवी पत्नी श्री दयाल की नियुक्ति करने बाबत।	<p>1- आपत्तिकर्ता उपस्थित।</p> <p>2- आपत्तिकर्ता की मुख्य आपत्ति यह है कि अनन्तिम सूची में लीलादेवी के 66 अंक थे बाद में</p>	

						<p>76 किये गये हैं।</p> <p>3- आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों के परिशीलन उपरांत पाया जाता है कि लीलादेवी की शैक्षणिक योग्यता के 66 व 10 बी.पी.एल के अंक मिले हैं। जो कुल 76 अंक होते हैं।</p> <p>4- आपत्तिकर्ता के अंको का योग 76 होता है व चयनित का योग 76 होता है</p> <p>5- आपत्ति प्रथम दृष्टया स्वीकार योग्य नहीं ।</p>	
19	रिदौली	बौहरे का पुरा	<p>1- अनीता शर्मा पत्नी राकेश शर्मा</p> <p>2- सुनीता पत्नी विरेन्द्र सिंह</p>	उप कार्यकर्ता	<p>1-आंगनबाड़ी केन्द्र रिदौली में रिक्त पद मिनी कार्यकर्ता की पद की जांच कर नियुक्ति करने बाबत।</p> <p>2- अनन्तिम सूची में चयनित होने के पश्चात् अंतिम सूची से नाम हटाने के संबंध में।</p>	<p>1- आपत्तिकर्ता उपस्थित। प्रस्तुत आपत्ति का अवलोकन किया गया। आपत्तिकर्ता सुनीता देवी पत्नी विरेन्द्र सिंह का नाम प्रोविजनल सूची में दर्ज है जिसमें 60 अंक प्रदान किये गये हैं। किंतु अंतिम सूची में पदरिक्त अंकित है। इस ग्राम में कुल 08 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पेश किया गया था। जिसमें निम्नानुसार स्थिति पाई गई थी :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● सुनीता देवी/विरेन्द्र प्राप्तांक 60 ● मंजूलता/महेश- प्राप्तांक 64 स्थानीय निवासी नहीं। ● संध्यादेवी/घनश्याम प्राप्तांक 62 स्थानीय निवासी नहीं। ● अनिता राकेश प्राप्तांक 52 निवास का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं। ● रत्ना रामजीलाल प्राप्तांक 45 निवास का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं। ● रेखा जैन आनंद जैन प्राप्तांक 48 निवास प्रमाण पत्र संलग्न नहीं। ● कल्पना सुनील जोशी प्राप्तांक 49 निवास प्रमाण पत्र संलग्न नहीं। ● बेबी राजेश प्राप्तांक 46 निवास का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं। <p>प्रस्तुत दस्तावेजो, सूची का अवलोकन किया गया । कुल 08 अभ्यर्थियों में से क्रमांक 1 में</p>	

						अंकित को शेष 07 अभ्यर्थी में से विचारणीय था। तथा शेष स्थानीय निवासी नहीं होने से आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य है।	
20	उदोतगढ़	ओझा मोहल्ला	दाखाश्री / मनोज	उप कार्यकर्ता	अवैध नियुक्ति निरस्त करने बाबत्।	<p>1- आपत्तिकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं उनके स्थान पर देवर उपस्थित।</p> <p>2- चयनित रश्मिदेवी भी उपस्थित नहीं।</p> <p>3- मुख्य आपत्ति निवास की है। परन्तु कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं है।</p> <p>4- चयनित का निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी है।</p> <p>5- चयनित के 65 अंक है व आपत्तिकर्ता के 62 अंक है।</p> <p>6- प्रथम दृष्टया आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।</p>	
21	परा	पराकापुरा	भारती / संतोष	उप कार्यकर्ता	आपत्ति लगाने बाबत्।	<p>1- आपत्तिकर्ता भारती उपस्थित।</p> <p>2- चयनित ममता उपस्थित नहीं।</p> <p>3- चयनित के 54 अंक बनते हैं।</p> <p>4- आपत्तिकर्ता के नाम के आगे अनन्तिम सूची में स्थानीय नहीं लिखा जाकर चयन से पृथक किया गया है।</p> <p>5- आपत्तिकर्ता के आवेदन के साथ संलग्न राशनकार्ड व मतदाता परिचय पत्र अनुसार परा के निवासी अंकित ह।</p> <p>6- प्रथम दृष्टया आपत्तिकर्ता के अंक 61 बनते हैं। अतः आपत्ति स्वीकार योग्य है।</p>	
22	मुड़ियाखेड़ा	मिश्रनकापुरा	श्रीकान्ती / भानुप्रताप	कार्यकर्ता	अंतिम सूची में चयनित महिला के दस्तावेजों की जांच बाबत्।	<p>1- आपत्तिकर्ता उपस्थित।</p> <p>2- आपत्ति यह है कि चयनित अभ्यर्थी संगीता / सुदेश ग्राम की मूल निवासी नहीं है। शिकायत के आधार पर आवेदन का परिशीलन किया जिससे पाया जाता है कि जाति व मूल निवासी प्रमाण पत्र भीमनगर भिण्ड के नाम के संलग्न है। अंको का योग त्रुटिपूर्ण लगाया गया है। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर 44 अंक बनते हैं, जबकि 58 अंक देकर वरीयता में प्रथम स्थान पर लाया गया है।</p>	

						शिकायत कर्ता का अंको योग 54 बनता है। आपत्ति प्रथम दृष्टया स्वीकृति योग्य है।	
23	गढेर	गढेर	1.विमलेश / नरेन्द्र 2. मनोज /ध्रुवसिंह	कार्यकर्ता	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अवैध नियुक्ति के संबंध में।	1- आपत्तिकर्ता विमलेश उपस्थित। 2- चयनित वंदना/सुबोध भदौरिया उपस्थित नहीं। 3- आपत्तिकर्ता ने चयनित की शादी होकर मूल निवासी न होना बताया परन्तु कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं की गई। आवेदन के साथ संलग्न निवास व राशनकार्ड से निवास पाया जाता है। 4- दूसरी आवेदिका मनोज/ध्रुवसिंह भदौरिया के आवेदन पर निवास की आपत्ति लगाई है। परन्तु कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं की। आपत्ति प्रथम दृष्टया स्वीकृत योग्य नहीं है।	
24	किशुपुरा	किशुपुरा	शिखादेवी/ प्रदीप सिंह	कार्यकर्ता	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जांच बाबत।	1- आपत्तिकर्ता की ओर सजीवसिंह उपस्थित। 2-मुख्य आपत्ति यह है कि चयनित अभ्यर्थी नीतू/छोटे सिंह की अनन्तिम सूची में टीप में ग्राम का निवासी नहीं होना बताया गया है। आवेदन पत्र के साथ नीतू सिंह द्वारा बी.पी.एल कार्ड निवास प्रमाण पत्र व शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र पेश किये हैं। 3- वरियता के आधार नीतू के 58 अंक है। शिखा/प्रदीप के 52 अंक है। हेमा/रिपुदमनसिंह के 52 अंक है। 4- अतः स्थानीय जांच उपरांत निवासी का निर्धारण किया जाना उचित होगा।	
25	उदोतपुरा	मिहोनी	पूनम पत्नी दीपक त्रिपाठी	कार्यकर्ता	सुनीता पत्नी रामानंद शर्मा की फर्जी नियुक्ति निरस्त करने बाबत।	1- आपत्तिकर्ता उपस्थित। 2- आपत्ति यह है कि चयनित अभ्यर्थी सुनीता का चयन त्रुटिपूर्ण हुआ है। 3- दोनों आवेदनों की जांच की गई स्थिति इस प्रकार है :- ● सुनीता की शैक्षणिक योग्यता के 46 अंक दिये गये हैं।	

						<ul style="list-style-type: none"> • आपत्तिकर्ता के आवेदन में हायरसेकेण्डरी की अंकसूची नहीं लगी है ना ही पावती दिखा सकें । मूल अंकसूची अवलोकन कराई जिसमें 63 प्रतिशत अंक है । जिसके आधार पर 36 अंक बनेगें । आपत्तिकर्ता का कहना है कि उन्होने आवेदन के साथ अंकसूची लगाई थी, जो कि निकाल दी गई है। आपत्ति प्रथम दृष्टया में स्वीकृति योग्य नहीं है। 	
26	नावली वृंदावन	नावली वृंदावन	1. सुषमा /मुख्यतार सिंह 2. कुसुमा /राघवेन्द्र	कार्यकर्ता	1- अनन्तिम सूची के प्रकाशन में आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत। 2- अंतिम प्रकाशित चयन सूची सुधा पत्नी अतरसिंह निवासी नगला फौजी ग्राम पंचायत सिरसा जिला फिरोजाबाद की नियुक्ति निरस्त करने बाबत।	<p>प्रथम शिकायतकर्ता का अभिमत</p> <p>1- शिकायत कर्ता उपस्थित।</p> <p>2- चयनित अभ्यर्थी सुधा/देवराज के आवेदन पर यह आपत्ति है कि ग्राम में सुधा नाम की महिला नहीं है। देवराज की पत्नी का नाम उमा है। जो प्राचार्य ,श्रीकृष्ण हायरस्कूल अटेर के प्रमाण पत्र से भी स्पष्ट है सुधा देवराज की पत्नी की बहन है जो ग्राम नगला फौजी जिला फिरोजाबाद की निवासी है। जिसके संबंध में मतदाता सूची की छायाप्रति पेश की है। सुधा की अंकसूची के आधार पर उमा/देवराज, सुधा/देवराज बनाकर नियुक्ति पाना चाहती है।</p> <p>प्रमाण मे स्थानीय जांच आवश्यक है प्रथम दृष्टवा आपत्ति स्वीकार योग्य है।</p> <p>द्वितीय आपत्तिकर्ता उपस्थित, आपत्ति का अवलोकन किया गया। आपत्तिकर्ता की मूल आपत्ति बी.पी.एल. कार्ड का 10 अंक प्रदान नहीं करना है। प्रस्तुत दस्तावेजों में परिवार के मुखिया राघवेन्द्र को क्र. 65045 का राशन कार्ड बी.पी.एल. का जारी किया गया है। जारी अनन्तिम सूची में आपत्तिकर्ता को 10 अंक नहीं दिया गया है। आपत्तिकर्ता की आपत्ति स्वीकार कर बी.पी.एल. राशन कार्ड के 10 अंक प्रदान किया जाना उचित है।</p>	

27	परा	राहुली	प्रेमवती /मूलसिंह	उप कार्यकर्ता	कुमारी निरीशा की अवैध नियुक्ति निरस्त करने बाबत्।	<p>1- आपत्तिकर्ता उपस्थित। प्रस्तुत आपत्ति का अवलोकन किया गया। मूल आपत्ति में आपत्तिकर्ता ने अभ्यर्थी निरीशा की संलग्न अंकसूची फर्जी बताया गया है। किंतु फर्जी अंक सूची होने का प्रमाण पेश नहीं किया गया है। अंकसूची प्रथम दृष्टि में सही पाई गयी। आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।</p> <p>2- दूसरी आपत्ति निरीशा की शादी अन्य जिलें में होने का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। अतः पेश दस्तावेजों के आधार पर पेश आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।</p>
28	मुड़ियाखे ड़ा	मिश्रनकापुरा	प्रेमवती/मनोज	सहायिका	नियुक्त सहायिका की नियुक्ति पद आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत्।	<p>1- आपत्तिकर्ता उपस्थित।</p> <p>2- मुख्य आपत्ति यह है कि चयनित अभ्यर्थी शारदा हरिशंकर के द्वारा निवास व शैक्षणिक योग्यता के जो प्रमाण पत्र पेश किये हैं व फर्जी गलत है। साक्ष्य में ग्राम पंचायत गोहदूपुरा की मतदाता सूची है। व सरपंच मुड़ियाखेड़ा का प्रमाण पत्र पेश किया।</p> <p>3- शिकायतकर्ता के अंक 50 बनते हैं तथा चयनित के अंक 67 बनते हैं। चयनित को जारी प्रमाण पत्र में निवास स्थान की जगह ओवर राईटिंग कर चन्दनपुरा लिखा गया है।</p> <p>4- जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य है।</p>
29	जम्हौरा	जम्हौरा	उर्मिला/रामकि शोर	कार्यकर्ता	प्रार्थियों की कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति देने बाबत्।	<p>1- आपत्तिकर्ता उपस्थित। आपत्ति का अवलोकन किया गया।</p> <p>अनन्तिम सूची में आवेदिका को बी.पी.एल. के 10 अंक दिये जाना उचित है। मूल प्रति का अवलोकन किया गया।</p> <p>2- अनन्तिम सूची में आपत्तिकर्ता को पांचवी में प्राप्तंक के आधार पर 87 प्रतिशत अंक प्रदान किये गये हैं। जबकि अंकसूची में 85 प्रतिशत अंक अंकित हैं। अर्थात् अनन्तिम सूची में 87 प्रतिशत के स्थान</p>

						पर 85 प्रतिशत होना चाहिए। बाद की स्थिति निम्नानुसार होना चाहिए 3- उर्मिला/रामकिशोर 85 प्रतिशत, 25 , 22,, 47, 10- 4 कुल 61 अंक अंकित होना चाहिये।	
30	दैपरा	दयारामकापुरा	1-सविता देवी /रामकुमार 2-सुषमा देवी/जितेन्द्र	उप कार्यकर्ता	1- मिनी आंगनबाडी केन्द्र दैपरा मे नियुक्त कार्यकर्ता की आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत! 2- नियुक्त कार्यकर्ता नियम विरुद्ध चयनित करने बाबत।	आपत्तिकर्ता उपस्थित, पेश आपत्ति का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा पांचवी की अंकसूची फर्जी बताया गया है। अंकसूची को संदेहप्रद मानते हुए, जांच उपरांत मान्य किया जाना प्रस्तावित है।	
31	धरई	नालीपुरा	रामरती /सुभाष	सहायिका	बीपीएल के अंको के आधार पर सहायिका पद पर चयनित महिला के बीपीएल अंक निरस्त करने एवं नियुक्ति आदेश रोकने बाबत।	आपत्तिकर्ता उपस्थित। अवलोकन किया गया । अभ्यर्थी ललिता/देशराज सिंह को बीपीएल के 10 अंक गलत दिये जाने की आपत्ति है। प्रस्तुत दस्तावेजों में बीपीएल सूची 2003 में देशराज का नाम अंकित है किंतु देशराज सिंह शा.प्रा.महा.विद्य लय अडोखर में सहायक अध्यापक है। इसलिए उसे राशनकार्ड जारी नहीं किया गया है। शिक्षक पदस्थ होने के आशय का उनने कथन भी किया है किंतु अनंन्तिम सूची में देशराज की पत्नी बीपीएल के 10 अंक प्रदान किए गए है । आपत्तिकर्ता द्वारा तहसीलदार के समक्ष अपील पेश की गई । प्रथम दृष्टया में देशराज बीपीएल परिवार के लायक नहीं है। अतः प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य है।	
32	लावन	अम्हलेडी	कुसुमलता/कौ शल किशोर	कार्यकर्ता	आंगनबाडी कार्यकर्ता की अवैध । रूप से की गई नियुक्ति को निरस्त करने विषयक।	1- आपत्तिकर्ता कुसुमलता उपस्थित। 2- चयनित अभ्यर्थी बंसतीदेवी उपस्थित नहीं । 3- चयनित बंसती देवी के नाम मुख्य आपत्ति यह है कि वह ग्राम की निवासी नहीं है। उसकी पुष्टि हेतु ग्राम सभा का प्रस्ताव ठहराव, मतदाता ग्राम पंचायत लावन व मतसूची व ग्राम पंचायत अहेटी वि.ख. महेबा की मतदाता सूची की छायाप्रति पेश की गई है। चयनित का निवास प्रमाण पत्र पति के आधार पर जारी किया गया है। परंतु संदिग्ध है।	ि

						<p>क्योंकि उनके पति का नाम जीजा के राशनकार्ड में अंकित है जो त्रुटिपूर्ण है।</p> <p>4- चयनित के अंक 43 है जबकि अनन्तिम सूची में नाम के आगे टीप भी अंकित है कि पति का नाम जीजा के दर्ज है।</p> <p>5- आपत्ति स्वीकार करने योग्य है।</p>	
33	निवारी	कुटपुरा	सीताश्री / जयसिंह	उप कार्यकर्ता	अर्चना शर्मा पत्नी अरविन्द शर्मा की नियुक्ति निरस्त करने बाबत।	<p>1- आपत्तिकर्ता सीताश्री उपस्थित।</p> <p>2- अर्चना शर्मा चयनित अनुपस्थित।</p> <p>3- आपत्ति यह है कि अर्चना ग्राम की निवासी नहीं। शादी होकर भिण्ड निवास कर रही है।</p> <p>4- अर्चना के आवेदन के साथ संलग्न निवास प्रमाण पत्र व राशनकार्ड दोनों में भिन्नता है। राशनकार्ड में अर्चना के पति का नाम अंकित है। जबकि राशनकार्ड कृपांशकर (बाबा) के नाम बना है। जिस पर किसी सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। अनन्तिम सूची में भी नाम के आगे स्थानीय निवासी संदिग्ध लिखा है।</p> <p>5- प्रथम दृष्टया आपत्ति स्वीकार करने योग्य है।</p>	
34	परा	पराकापुरा	मिथलेश / नरेन्द्र	कार्यकर्ता	श्रीमती भावना पत्नी राधामोहन आंगनबाड़ी केन्द्र परा कार्यकर्ता की नियुक्ति निरस्त करने के संबंध में।	<p>आपत्तिकर्ता द्वारा पेश आपत्ति का अवलोकन किया गया। आपत्तिकर्ता ग्राम परा की निवासी है। केन्द्र परा का पुरा में खुला है पराकापुरा मोहल्ला ग्राम परा में शामिल है आपत्तिकर्ता परा की निवासी मानी जायेगी। जिसमें यह पराकापुरा भी शामिल है। प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अंतिम सूची में स्थानीय निवासी होने संबंधी आवश्यक सुधार प्रस्तावित है।</p>	
35	बिछौली	बिछौली	नेहा / मनोज	कार्यकर्ता	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदपद की गई अवैध नियुक्ति पर आपत्ति बाबत।	<p>1- आपत्तिकर्ता उपस्थित। चयनित का पति उपस्थित।</p> <p>2- आपत्ति यह है कि चयनित ग्राम के मूल निवासी नहीं है।</p> <p>3- प्राप्त अंको के आधार पर स्थिति इस प्रकार है।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● गीता कुशवाह 54 ● रेनु रविन्द्र 35 	

						<ul style="list-style-type: none"> ● सीता 48 ● नेहा /मनोज 42 <p>कुल 9 आवेदन आए थे। आपत्ति के आधार पर प्राप्त आवेदनों का निरीक्षण किया। जिसमें पाया जाता है कि गीता सरिता के आवेदनों के साथ निवासी संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लगाए गए हैं। 4- आपत्ति प्रथम दृष्टया स्वीकृति योग्य है।</p>	
36	बमनपुरा	बमनपुरा	अनिता /गुरुवचन	सहायिका	सहायिका के पद के संबंध में नियुक्ति में आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत।	<p>1- आपत्तिकर्ता स्वयं अनिता उपस्थित नहीं। देवर उपस्थित।</p> <p>2- उसकी आपत्ति यह है कि उसे बीपीएल के अंक नहीं दिए गए। आवेदन पत्र के साथ बीपीएल राशन कार्ड सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया है। कांटेछांट की गई है। आपत्ति निरस्ती योग्य है।</p>	
37	गोअरखुर्द	रमपुरा	ममता /प्रवीण	उप कार्यकर्ता	आंगनबाड़ी उपकेन्द्र पर अपात्र के चयन के संबंध में।	<p>1- आपत्तिकर्ता अनुपस्थित।</p> <p>2- मात्र एक आवेदन था। जिसका चयन किया गया है।</p> <p>3- चयनित राशनकार्ड के आधार पर निवासी है।</p> <p>4- आपत्ति स्वीकृति योग्य नहीं।</p>	
38	पाली	चारघरकापुरा	विनिता /शिया शर्मा	उप कार्यकर्ता	<p>कम मैरिट वाले अभ्यर्थी के चयन करने के संबंध में।</p> <p>2- आंगनबाड़ी उप कार्यकर्ता के पद पर अनन्तिम सूची चयन के बाबजूद नाम हटाने के संबंध में।</p>	<p>1- आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का अवलोकन किया गया। ग्राम पाली के चारघर का पुरा नाम के मोहल्ले में केन्द्र खुला है। यह मोहल्ला पाली ग्राम में शामिल है।</p> <p>आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत मूल निवासी संरपच द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में ग्राम पाली तथा चारघर का पुरा मोहल्ला निवासी होना प्रमाणित किया गया है। अंतिम सूची में स्थानीय निवासी नहीं होने तथा उक्त स्थान पर पद रिक्त दर्शाया गया है। जबकि आपत्तिकर्ता ग्राम पाली के चारघरकापुरा की ही रहने वाली है। राजस्व ग्राम पाली में उक्त मोहल्ला शामिल है। अतः प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य है।</p>	

39	तरसोखर	कठेलनकापुरा	अंशु/राजेश	कार्यकर्ता	आंगनबाडी कार्यकर्ता के नियुक्ति के संबंध में आपत्ति।	<p>1- आपत्तिकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं। जेठ उपस्थित है।</p> <p>2- चयनित मीना देवी उपस्थित नहीं।</p> <p>3- चयनित मीनादेवी के नाम पर मुख्य आपत्ति यह है कि वह ग्राम की मूल निवासी नहीं है। साक्ष्य में सरपंच का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।</p> <p>4- आवेदन पत्र के साथ संलग्न निवास प्रमाण पत्र में पिता का नाम अंकित है। जबकि शादी के बाद पति के नाम प्रमाण पत्र बनवाया जाना चाहिए था।</p> <p>5- चयनित के 41 अंक बनते हैं। व आपत्तिकर्ता की आयु कम बताई गई है। तथा यदि हायर सेकेण्डरी के अंक मान्य भी किये जाते हैं तो 28 अंक बनते हैं।</p> <p>6- प्रथम दृष्टया चयनित चयनित के निवास संदिग्ध होने से जांच योग्य है। आपत्ति स्वीकार करने योग्य है।</p>
40	शुक्लपुरा	जगन्नाथपुरा	विनिता/राजकि शोर	कार्यकर्ता	अवैध नियुक्ति निरस्त किये जाने बाबत।	<p>1- अपीलकर्ता विनिता उपस्थित है।</p> <p>2- सुमनदेवी चयनित के पति उपस्थित।</p> <p>3- आपत्तिकर्ता के आपत्ति के आधार पर चयनित के आवेदन की जांच की जिससे पाया जाता है कि उसके 40 अंक हैं। आपत्तिकर्ता के 52 अंक बनते हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति व निवासी प्रमाण पत्र। राशनकार्ड व मतदाता परिचय पत्र से निवास की पुष्टि होती है। आपत्ति स्वीकृति किये जाने योग्य है।</p>
41	गोअरखुर्द	मिश्रनकापुरा	रेखा/सुरेश	उपकार्यकर्ता	गोअरखुर्द मिश्रनपुरा के निवासी होने के संबंध में।	<p>1- आपत्तिकर्ता रेखादेवी उपस्थित।</p> <p>2- अनंतिम सूची में रेखा शर्मा को अंक दिए गए थे।</p> <p>3- ग्राम में कुल 03 आवेदन प्राप्त हुए थे।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● रेखा शर्मा ● नीतू शर्मा ● सीमा देवी <p>उक्त तीनों में से नीतू की कम उम्र के कारण</p>

						<p>अपात्र बताया गया था। तथा सीमादेवी की कक्षा पाचवी की अंकसूची न होने से अपात्र बताया गया था। उक्त तीनों के कक्षा 5 व उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निम्नानुसार अंक बनेगें।:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● सीमा शर्मा कक्षा 5 के न्यूनतम अंक 30+10 कुल 40 ● नीतू शर्मा कक्षा 5 के न्यूनतम अंक 30+10 कुल 40 ● रेखा शर्मा कक्षा 5 के न्यूनतम अंक 59 प्रतिशत से न्यूनतम अंक 30+9+10 कुल 49 <p>आवेदन पत्रों का संलग्न निवासी प्रमाण पत्र मतदाता परिचय पत्र, राशनकार्ड आधार पर सीमा व नीतू शर्मा के निवास की पुष्टि होती है। जांच के दौरान प्रस्तुत राशनकार्ड में रेखा का नाम जारी होने के बाद जोड़ा गया है। अतः पुनः जांच किया जाना उचित होगा।</p>	
42	बलारपुरा	बलारपुरा	उजला/धर्म किशुन	कार्यकर्ता	नियुक्त कार्यकर्ता की नियुक्ति के संबंध में।	<p>1- प्रकरण में आपत्तिकर्ता उपस्थित। 2- चयनित अभ्यर्थी राधा/अतरसिंह की शैक्षणिक योग्यता के अलावा बीपीएल के 10 अंक दिए गए जो संलग्न दस्तावेज के अनुसार सही है। 3- आपत्तिकर्ता शैक्षणिक योग्यता के अंक दिये गये हैं। स्नातकोत्तर के 5 अंक दिये जाने चाहिये थे। 4- बीपीएल राशनकार्ड यदि त्रुटिपूर्ण बना है तो अपील कर निरस्त करना चाहिए मात्र लिख देने से उसे अमान्य नहीं किया जा सकता है। 5- आपत्ति स्वीकृति योग्य नहीं है।</p>	
43	तरसोखर	कठेलन कापुरा	मीनदेवी/रामबरन	सहायिका	ग्राम पंचायत तरसोखर में ग्राम कठेलन का पुरा पर आंगनबाड़ी सहायिका के चयन पर आपत्ति बाबत।	<p>1- आपत्तिकर्ता उपस्थित। 2- आपत्तिकर्ता सहित चयनित अभ्यर्थी कुसुमा देवी की कक्षा 5वी की अंकसूची नहीं है। 3- लीला/भागवती की भी कक्षा 5 वी की अंकसूची नहीं है।</p>	

						<p>4- मीनादेवी/रामबरन की कक्षा 5वी की भी अंकसूची नहीं है।</p> <p>5- अंको का निर्धारण सही नहीं किया गया। न्यूनतम कक्षा 5 के 30 अंक दिये जाने पर तीनों के समान 40 अंक हो जाते हैं अतः परीक्षण कर वरियता सूची तैयार किये जाने योग्य है।</p>	
44	देहरा	रानीपुरा	सीमा पत्नी देवसिंह कुशवाह	कार्यकर्ता	ग्राम रानीपुरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रानीपुरा की निवासी न होने के संबंध में।	<p>1- आपत्तिकर्ता उपस्थित।</p> <p>2- चयनित अभ्यर्थी रेखा/फतेहसिंह के चयन पर यह आपत्ति की है कि वह ग्राम के निवासी नहीं है। आवेदन के साथ रानीपुरा का निवास प्रमाण पत्र लगा है यदि रानीपुरा व देहरा पृथक पृथक राजस्व ग्राम हो तो जांच का विषय हो सकता है, यदि मजरा है तो आपत्ति स्वीकृति योग्य नहीं है।</p>	
45	सौरा	मल्लपुरा	मिथलेश पत्नी राकेश सिंह राजपूत निवासी मल्लपुरा	कार्यकर्ता	ग्राम मल्लपुरा में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में चयनित अंगूरी देवी पत्नी भारत सिंह की नियुक्ति निरस्त करने बाबत।	<p>1- आपत्तिकर्ता उपस्थित। आपत्ति के साथ संलग्न दस्तावेजों का परिशीलन किया जिसके आधार पर अंगूरी देवी/भारतसिंह द्वारा कक्षा 8वी मा.वि.खनेता के प्रधानाध्यापक के प्रमाण पत्र के आधार पर 8वीं की अंकसूची संदिग्ध होना पाया जाता है। अतः अभ्यर्थी को कक्षा 8वी के 10 अंक अतिरिक्त दिये गये हैं। त्रुटिपूर्ण है, इसके अतिरिक्त शपथपत्र अंगूरी देवी द्वारा पेश है जिसमें वह नियुक्ति नहीं चाहती है। अतः आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य है।</p>	
46	परा	सोनेलालकापुरा	विद्या नरवरिया पुत्री श्री उदयसिंह नरवरिया	कार्यकर्ता	आंगनबाड़ी केन्द्र सोनेलाल का पुरा, अटेर पर नियुक्ति पर आपत्ति किये जाने बाबत।	<p>1- आपत्तिकर्ता उपस्थित।</p> <p>2- चयनित अभ्यर्थी की बीपीएल के अंकनही दिये गये हैं। मात्र शैक्षणिक योग्यता के अंक दिये हैं।</p> <p>3- आपत्तिकर्ता की जन्मतिथि 08.05.1984 है। मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास के ज्ञापन क्रमांक एफ 3-2/06/502 दिनांक 10.07.2007 में 30 वर्ष से अधिक की परित्यक्ता होने पर ही अंक देने का प्रावधान है। आपत्तिकर्ता की 30 वर्ष नहीं होने से आपत्ति अस्वीकृति योग्य है।</p>	
47	गोहदूपुरा	बमनपुरा	गीता पत्नी राजेश कुमार	कार्यकर्ता	आंगनबाड़ी नियुक्ति के जांच करने हेतु।	<p>1- आपत्तिकर्ता उपस्थित। आपत्तिकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत मुड़ियाखेड़ा की मतदाता सूची वर्ष</p>	

						2009-10 की छायाप्रति पेश की, जिसके अनुसार अनु.909' पर आवेदिका के ससुर का नाम दर्ज है। कविता देवी के आवेदन के साथ संलग्न, बीपीएल राशनकार्ड में परिवार के सदस्यों की सूची काटछांट की गई है। यह सही है कि, चयनित अभ्यर्थी के ससुर वर्तमान में तहसील अटेर में पटवारी पदस्थ है, ऐसी स्थिति में पुत्र को बीपीएल का नाम प्राप्त नहीं होना था। उपरोक्त आपत्ति स्वीकृति करने योग्य है। तथा द्वितीय स्थान पर गीता राजेश कुमार के नाम 42 अंक बनते हैं विचार किया जा सकता है।	
48	मृगपुरा	रजपुरा	अरविन्दसिंह भदौरिया	उप कार्यकर्ता	ग्राम रजपुरा विकासखण्ड अटेर में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर की गई अवैध नियुक्ति पर आपत्ति बाबत।	1- प्राप्त आपत्ति का अवलोकन किया जिसमें पाया जाता है कि चयनित अभ्यर्थी रेशमा/शैलेन्द्र सिंह की कक्षा 5 में 87 प्रतिशत अंक हैं जिन्हें 90 प्रतिशत दर्शाया गया है। इससे उसे 3 अंक ज्यादा प्राप्त हो गये हैं। मूल निवासी व मतदाता परिचय पत्र में भिन्नता है। क्योंकि मतदाता परिचय पत्र में बिछौली का निवासी अंकित हैं आपत्तिकर्ता के 62 अंक हैं। आपत्तिकर्ता के मतदाता परिचय पत्र बिछौली का है। अन्य दा अभ्यर्थी उमादेवी का नाम मतदाता सूची में परन्तु स्थानीय निवासी नहीं माना है। तथा उच्च शिक्षा प्राप्त है। तो कक्षा 5 के न्यूनतम अंक दिये जाने चाहिए थे जो नहीं थी इसी प्रकार देवी/दिनेश को कक्षा 5 के न्यूनतम अंक नहीं दिये। अतः आपत्ति स्वीकार कर पुनः जांच उपरांत निर्णय किये जाने योग्य है।	